GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार

MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय

(Railway Board) रेलवे बोर्ड

S.No. PC-VI/ 348
No. PC-V/2010/A/Med./1

RBE No. 146/2014
New Delhi, dated 19 .12.2014

The General Managers/ CAO(R),
All Indian Railways & PUs
(As per standard mailing list)

Subject:-Grant of Fixed Medical Allowance (FMA) to the Railway pensioners/family pensioners-regarding.

At present Fixed Medical Allowance is granted to the Railway pensioners/family pensioners residing in areas beyond 2.5 Kms of Railway Hospital/Health Unit for meeting expenditure on their day-to-day medical expenses that do not require hospitalization. Orders were issued vide Board's letter of even number dated 29.06.2010 (RBE No.92/2010) for enhancement of the amount of Fixed Medical Allowance from ₹100/- to ₹300/-p.m. w.e.f. 01.09.2008.

2. In this connection, Department of Pension & Pensioners Welfare (DoP&PW), the nodal department on the subject, have advised vide their O.M No.4/25/2008-P&PW(D), dated 19.11.2014 that the demand for enhancement of Fixed Medical Allowance has been under consideration of the Government for some time past and the amount of Fixed Medical Allowance has been enhanced from ₹300/- to ₹500/- per month, subject to the fulfilment of the conditions that (i) pensioner should be residing beyond 2.5 kms from the nearest health unit and (ii) the pensioner should not be availing OPD facility (except in case of chronic disease). The other conditions for grant of Fixed Medical Allowance shall continue to be as contained in Board's letter No. PC-V/98/I/7/1/1, dt. 19.05.1999 (RBE No.109/99) read with Board's instructions dt.01.03.2004.

3. These orders will take effect from 19th November, 2014 i.e the date of issue of DoP&PW's OM on the subject.

4. This issue with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Hindi version is enclosed.

(N.P.Singh)
Dy.Director, Pay Commission - V
Railway Board

No. PC-V/2010/A/Med./1

New Delhi, dated 19 .12.2014

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi

for Financial Commissioner, Railways

D:\MANOJ\General Orders\Fixed Medical Allowance\Enhancement.doc

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

क्रम सं. पीसी-VI/ आरबीई सं. 146/2014

सं. पीसी-V/2010/ए/मेड./1 नई दिल्ली, दिनांक 19.12.2014

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलें),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार).

विषय: रेलवे पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को नियत चिकित्सा भत्ता प्रदान करना।

वर्तमान में उन रेलवे पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों जो रेल अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र से 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहते हैं, को ऐसे दैनिक चिकित्सा खर्चों जिसके लिए अस्पताल में दाखिला की आवश्यकता नहीं होती है, के लिए निर्धारित चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। बोर्ड के दिनांक 29.06.2010 के समसंख्यक पत्र के तहत 01.09.2008 से (आरबीई सं.92/2010) निर्धारित चिकित्सा भत्ता की राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने के आदेश जारी किए गए थे।

2. इस संबंध में, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, जो इस संबंध में नोडल विभाग है, ने अपने दिनांक 19.11.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/25/2008-पी एण्ड डब्ल्यू (डी) के तहत सूचित किया है कि निर्धारित चिकित्सा भत्ते को बढ़ाए जाने की मांग पर भारत सरकार द्वारा विगत कुछ समय से विचार किया जा रहा था और अब निर्धारित चिकित्सा भत्ते राशि को (i) पेशनभोगी निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र से 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रह रहा हो और (ii) पेंशनभोगी ओपीडी सुविधा (पुरानी बीमारी के मामलों को छोड़कर) का लाभ नहीं उठा रहा हो, की शर्तों के साथ 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। निर्धारित चिकित्सा भत्ता प्रदान करने से संबंधित अन्य शर्तें बोर्ड के दिनांक 01.03.2004 के अनुदेशों के साथ पठित बोर्ड के दिनांक 19.05.1999 के पत्र सं. पीसी-V/98/I/7/1/1 (आरबीई सं. 109/99) के अनुसार जारी रहेंगी।

3. ये आदेश 19 नवम्बर, 2014 अर्थात् इस विषय पर पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(एन. पी. सिंह)
उप निदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड